

## हमिचल प्रदेश के हट्टी समुदाय

केंद्र, हमिचल प्रदेश सरकार के अनुसोध पर राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सूची में हट्टी समुदाय को शामिल करने पर विचार कर रहा है।

- यह समुदाय 1967 से इस अधिकार की मांग कर रहा है, जब उत्तराखण्ड के जौनसार बावर इलाके (जिसकी सीमा सरिमौर ज़िले से लगती है) में रहने वाले लोगों को आदविसी का दर्जा प्रदान किया गया था।
- आदविसी दरजे की उनकी इस मांग को वर्षों से वभिन्न महा खुबलियों में पारति परस्तावों के कारण बल मिला है।



### हट्टी समुदाय:

- हट्टी एक घनषिठ समुदाय है, जसे कस्बों में 'हाट' नामक छोटे बाजारों में घरेलू सब्जियाँ, फसल, मांस और ऊन आदविचने की परंपरा से यह नाम मिला है।
- हट्टी समुदाय में पुरुष आमतौर पर समारोहों के दौरान एक वशिष्ट सफेद टोपी पहनते हैं, यह समुदाय सरिमौर से गरिहाँ और टोंस नामक दो नदियों द्वारा वभिजित हो जाता है।
  - टोंस इसे उत्तराखण्ड के जौनसार बावर क्षेत्र से वभिजित करती है
- वर्ष 1815 में जौनसार बावर क्षेत्र के अलग होने तक उत्तराखण्ड के ट्राँस-ग्रिंड क्षेत्र और जौनसार बावर में रहने वाले हट्टी कभी सरिमौर की शाही रयिसत का हसिसा थे।
  - दोनों कुलों में समान परंपराएँ हैं और अंतर्राजातीय-विवाह आम बात है।
- हट्टी समुदायों के बीच एक कठोर जातवियवस्था है- भट और खश उच्च जातियों हैं, जबकि बिधोई उनसे नीची जाति है।
- अंतर्राजातीय विवाह अब परंपरागत रूप से सख्त नहीं रहे हैं।
- स्थलाकृतिक असुविधाओं के कारण कामरौ, संगरा और शलियाइ क्षेत्रों में रहने वाले हट्टी शक्तिवाले रोज़गार में पीछे रह गए हैं।
- हट्टी समुदाय खुंबली नामक एक पारंपराकि परषिद द्वारा शासति होती है, जो हरयिणा के खाप पंचायत की तरह सामुदायकि मामलों को देखती है।
- पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना के बावजूद खुंबली की शक्तिको कोई चुनौती नहीं मिली है।

### अनुसूचित जनजाति:

- संविधान का अनुच्छेद 366 (25) अनुसूचित जनजातियों को उन समुदायों के रूप में संदर्भित करता है, जो संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार

नरिधारति हैं।

- अनुच्छेद 342 के अनुसार, केवल वे समुदाय जनिहें राष्ट्रपति द्वारा परारंभिक सारवजनकि अधिसूचना के माध्यम से या संसद के बाद के संशोधन अधिनियम के माध्यम से ऐसा घोषित किया गया है, उनहें अनुसूचित जनजातिभाना जाएगा।
- अनुसूचित जनजातियों की सूची राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विशेषित है और एक राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित समुदाय के लिये दूसरे राज्य में भी ऐसा होने की आवश्यकता नहीं है।
- कसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट करने के मानदंड के बारे में संविधान मौन है।
  - आदमिता, भौगोलिक अलगाव, शर्म और सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक पछिड़ापन ऐसे लक्षण हैं जो अनुसूचित जनजाति समुदायों को अन्य समुदायों से अलग करते हैं।
- कुछ अनुसूचित जनजातियाँ, जिनकी संख्या 75 है, को विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (PVTG) के रूप में जाना जाता है, इनकी विशेषता है:
  - परोद्योगिकी पूरव कृष्णस्तर
  - स्थरि या घटती जनसंख्या
  - अत्यंत कम साक्षरता
  - अर्थव्यवस्था का निरिवाह स्तर
- STs हेतु सरकार की पहल:
  - [अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी \(वन अधिकारों की मान्यता\)](#) अधिनियम, 2006 (FRA)
  - [पंचायतों का प्रावधान \(अनुसूचित क्षेत्रों तक वसितार\)](#) अधिनियम, 1996
  - लघु वनोपज अधिनियम 2005
  - [अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति \(अत्याचार नवारण\)](#) अधिनियम और जनजातीय उप-योजना रणनीति जो कि अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण पर केंद्रित हैं।

## स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/hattis-of-himachal-pradesh>